न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 06 / 2018

अपीलकर्ता		उतरदातागण
1 रेखा पुत्र लाभू जाति भांभी (मेघवाल) निवासी महाबार तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 सरपंच ग्राम पंचायत महाबार 2 धना पुत्र लाभू 3 पारू पत्नी लाभूराम जाति भांभी (मेघवाल) निवासी महाबार तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act.

उपस्थिति :– 1 श्री मुकेश जैन, वकील अपीलकर्ता।

आदेश

दिनांक 3.9.21

संक्षिप्त में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट व उतरदाता संख्या 02 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा आदर्श महाबार पटवार क्षेत्र महाबार तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 412 रकबा 0.09 बीघा, खसरा संख्या 413 रकबा 0.04 बीघा, खसरा संख्या 414 रकबा 120.15 बीघा, खसरा संख्या 474 रकबा 33.03 बीघा, खसरा संख्या 478 रकबा 17.16 बीघा, खसरा संख्या 1216 रकबा 07.07 बीघा, खसरा संख्या 1229 रकबा 100.00 बीघा व खसरा संख्या 1228 रकबा 0.07 बीघा कुल रकबा 280.01 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि में हरलाल व मगा का संयुक्त रूप से 2 / 3 हिस्सा तथा लाभू का 1 / 3 हिस्सा खातेदारी में था, इसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है तथा मौके पर कोई विवाद नही होने से अन्य उनके वारिसों को पक्षकार नही बनाया गया है। हरलाल के पुत्रों भगा व बागा द्वारा खसरा संख्या 1229 में अपने हिस्से की भूमि बेचान कर दी गई, जिसमे भी कोई विवाद नही है। अपीलान्ट के पिता लाभू के फौत होने पर लाभू के 1 / 3 हिस्से में ग्राम पंचायत द्वारा उसके तीन वारिसान अपीलान्ट रेखा व उतरदाता संख्या 02 व 03 में से उतरदाता संख्या 02 व 03 के नाम से ही स्वीकृत कर दिया गया। अपीलान्ट लाभू का विधिक वारिस तथा प्रथम श्रेणी का वारिस होने के बावजूद अपीलान्ट का नाम फौतेदगी नामान्तकरण में दर्ज नही किया गया। अपीलान्ट यही समझता रहा कि उसका नाम खातेदारी में दर्ज है, लेकिन अपीलान्ट के हिस्से में उतरदाता संख्या 02 व 03 ने हस्तक्षेप करना प्रारम्भ किया तब अपीलान्ट ने एतराज किया तो उतरदाता संख्या 02 व 03 ने कहा कि अपीलान्ट का नाम वादग्रस्त आराजी में नही है, जिसका सर्वप्रथम ज्ञान दिनाक 14.03.2018 को अपीलान्ट को हुआ। अपीलान्ट ने दिनांक 14.03.2018 को नामान्तकरण कर नकल मांगी जो दिनांक 16.03.2018 को प्राप्त हुई। अपीलान्ट को नामान्तकरण संख्या 1347 का ज्ञान नही था। जानकारी होने से राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त की और यह अपील प्रस्तुत की, जो अन्दर म्याद सुमार की जाकर नामान्तकरण संख्या 1347 दिनांक 15.08.2000 खारिज फरमाया जावे तथा अपीलान्ट का नाम भी जमाबन्दी में अंकित किया जावें।

अपील म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। उतरदातागण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। उतरदातागण ईकतरफा।

वकील अपीलकर्ता की बहस सुनी गई। वकील अपीलकर्ता द्वारा म्याद के बिन्दु पर बहस करते हुए अवगत करवाया कि अपीलान्ट को दिनांक 16.03.2018 को नामान्तकरण की

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

नकले प्राप्त करने पर उक्त गलत फौतेदगी नामान्तकरण का ज्ञान हुआ। पटवारी हल्का से चालू जमाबन्दी की नकल प्राप्त होने पर उसका नाम नही होने की जानकारी प्राप्त हुई। जानकारी प्राप्त होते ही उसके द्वारा अपील की गई है। अपीलकर्ता मृतक लाभू की प्रथम श्रेणी की वारिस होने से उसके नाम नामान्तकरण पारित किया जाना न्यायोचित था, परन्तु ऐसा नही कर कानून की अवहेलना की गई है। अपील अन्दर म्याद सुमार कर आदेश पारित करने का निवेदन किया।

प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि अपीलकर्ता मृतक लाभू का पुत्र होने के नाते नामान्तकरण की कार्रवाई के दौरान उसे भी तलब किया जाना चाहिए था, परन्तु ऐसा नही किया गया। लिहाजा अपील म्याद सुमार की जाती है।

वकील अपीलकर्ता द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलकर्ता लाभू की विधिक वारिसान होने से उसका नाम नामान्तकरण संख्या 1347 दिनांक 15.08.2000 में अंकित किया जाना न्यायोचित था, परन्तु नामान्तकरण संख्या 1347 दिनांक 15.08.2000 को परित करते वक्त अपीलकर्ता का नाम अपीलाधीन भूमि में अंकित नही किया गया। लिहाजा उक्त नामान्तकण निरस्त. योग्य होने से निरस्त किया जाकर अपीलाधीन भूमि में अपीलकर्ता का नाम दर्ज करते हुए नये सिरे से लाभू के विधिक वारिसान के नाम नामान्तकरण पारित करने का निवेदन किया।

वकील अपीलकर्ता को सुनने के पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का भी गंभीरता से अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर हम इस निरकर्ष पर पहुचे है कि अपीलाधीन भूमि में स्वर्गीय लाभू की फौतगी पर पारित नामान्तकरण संख्या 1347 दिनांक 15.08.2000 में अपीलकर्ता स्व. लाभू का जायन्दा पुत्र होने से उसका नाम दर्ज होना चाहिए था, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अपीलकर्ता का नाम दर्ज नही कर कानूनी भूल की है। उक्त नामान्तकरण को निरस्त कर नये सिरे से नामान्तकरण पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अन्दर म्याद स्वीकार की जाकर मौजा आदर्श महाबार पटवार क्षेत्र महाबार तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 413 रकबा 0.04 बीघा, खसरा संख्या 2348/474 रकबा 09.16 बीघा, खसरा संख्या 2352/414 रकबा 47.09 बीघा भूमि में पारित नामान्तकरण संख्या 1347 दिनांक 15.08.2000 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट रेखा के अतिरिक्त अन्य कोई भी विधिक वारिसान् हो तो उसकी जांच कर बाद जांच मृतक लाभू के सभी विधिक वारिसानों के नाम नये सिरे से विधि सम्मत नामान्तकरण पारित करें तथा तदनुसार वर्तमान अभिलेख में भी आवश्यक संशोधन करें।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 3.9.24 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर